प्रेस नोट दिनांक – 29.10.2020

इटावा पुलिस द्वारा गैगस्टर अनीश उर्फ पाशु गिरोह के वाछिंत 01 अभियुक्त को अवैध असलाह सहित गिरफ्तार किया गया ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अभियान के क्रम एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर इटावा के नेतृत्व में एसओजी टीम इटावा व थाना कोतवाली पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए गैगस्टर अनीश उर्फ आशु के गिरोह के वाछिंत 01 अभियुक्तों को अवैध असलाह सहित गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 27.10.2020 को थाना कोतवाली पुलिस को वादी फैजल खान पुत्र रहीश खान निवासी कटरा पुर्दील खान थाना कोतवाली द्वारा सूचना दी गयी कि उसका जमीन को लेकर अनीश उर्फ पाशू से विवाद चल रहा था, अनीश एक बदमाश किस्म का अपराधी तथा गैग लीडर भी है जिसके कुछ सदस्य आरिफ, हनीफ,नासिर, चमन वारसी द्वारा जबरजस्ती हमारी दुकानों का फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया गया था दिनांक 22.10.2020 को इसी प्रकरण के चलते मे अपने वकील के पास जा रहा था तो साबरी प्रेस के पास उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा मुझे रोक कर जान से मारने की धमकी देते हुए मुकदमा वापस लेने को कहा गया । वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0स0 591/2020 धारा 504,506,386,120बी भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया । जिसमें दिनांक 27.10.2020 को पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका था तथा एक अभियुक्त मौके का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत थी ।

कल दिनांक 28.10.2020 को एसओजी टीम व थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0स0 591/2020 धारा 504,506,386,120बी भादवि से संबंधित अभियुक्त जिसके पास अवैध असलाह भी प्रतीत हो रहा है काजी पेट्रोल पम्प के आगे नेशनल डेन्टिंग पेन्टिग वर्कशाप के सामने कही जाने की फिराक में खडा है मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को घेरकर पकड लिया गया जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 01 तमंचा 32 बोर व 01खोखा कारतूस 32 बोर बरामद हुया । मो0 आरिफ एक शातिर किस्म का अपराधी है तथा पाशू गैग का सदस्य भी है जो कि पूर्व में कई बार जेल भी जा चुका है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0स0 595/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आरिफ पुत्र मुन्ना निवासी मेवाती टौला थाना कोतवाली जनपद इटावा।

बरामदगी-

1. 01 तमंचा 32 बोर।
2. 01 खोखा कारतूस 32 बोर।

आपराधिक इतिहास –

1. **आरिफ पुत्र मुन्ना निवासी मेवाती टौला थाना कोतवाली जनपद इटावा।**
    1. मु0अ0स0 128/02 धारा 506,452,307 भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा ।
    2. मु0अ0स0 559/10 धारा 307,387 भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा।
    3. मु0अ0स0 325/11 धारा ¾ गुण्डा अधि0 थाना कोतवाली जनपद इटावा।
    4. मु0अ0स0 813/11 धारा 147,148,149,302,504,120बी भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा।
    5. मु0अ0स0 175/2020 धारा 13 जी एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा।

6. मु0अ0स0 453/2020 धारा 120बी,420,467,468,471 भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा।
7. मु0अ0स0 591/2020 धारा 120बी,386,504,506 भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा।
8. मु0अ0स0 595/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा।

पुलिस टीम- प्रथम टीम- श्री सत्येन्द्र सिंह प्रभारी एसओजी इटावा मय टीम, श्री वीके सिहं प्रभारी सर्विलांस मय टीम।

द्वितीय टीम- श्री बचन सिंह सिरोही प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली मय टीम

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा